

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/9010 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2025 रायपुर,

दिनांक 31/12/2025

प्रवेश वर्ष – 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD / MS) पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण काउंसिलिंग हेतु संस्था चयन सूचना

प्रवेश वर्ष – 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम के प्रथम चरण आवंटन में प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों से नवीन पंजीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन संस्था चयन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदक ऑन-लाईन आवेदन एवं संस्था चयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025, संशोधन दिनांक 01 दिसम्बर 2025 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 का अवलोकन अवश्य करें (विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट www.cgdme.in एवं <https://cgdme.admissions.nic.in/> में उपलब्ध है।

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं संस्था चयन प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि	दिनांक 01 जनवरी 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 03 जनवरी 2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक
2	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	दिनांक 01 जनवरी 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 04 जनवरी 2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक

नोट:- 1. प्रथम चरण आवंटन से प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपग्रेड हेतु पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् संस्था चयन करने पर ही उन्हें द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 के बिन्दु 2.6 के अनुसार, जो अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु अपात्र है, उन्हें काउंसिलिंग के आगामी चरणों में पंजीयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित तिथि में संस्था चयन करना आवश्यक है चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयन किये संस्था स्वतः शुन्य हो गये है, अर्थात् संस्था चयन रिक्त हो गया है, अतः द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
4. पूर्व में पंजीकृत वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले केवल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन किया था, यदि वे आगामी काउंसिलिंग में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन करना चाहते हैं, तो उन्हें निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित पंजीयन राशि और पूर्व में जमा पंजीयन राशि के मध्य के अंतर की राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उक्त अतिरिक्त भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी निजी चिकित्सा महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे।
5. द्वितीय चरण एवं आगामी सभी काउंसिलिंग चरणों में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी।

अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्था चयन करते समय केवल उसी महाविद्यालय का चयन करें, जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों।

6. आगामी काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in एन.आई.सी. की वेबसाइट <https://cgdme.admissions.nic.in/> का नियमित अवलोकन करें।
7. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Chslu
अध्यक्ष, 31/12/25

चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.